Rajastahn Sector; during the past six months, if so, the details thereof;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has provided fire cover to its forces and infiltrators for setting up of ammunition dumps on the Indian side, if so, the number of such dumps detected and the arms recovered therefrom;

(c) wheher it is also a fact that Pakistan has upgraded the quality of arms and ammunition equipment supplied to the terrorists through LAC, if so, the details thereof;

(d) what steps have been taken by the defence forces to upgrade the weapon system to match the upgradation by the Pakistani side ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Firing by Pakistani troops along the Line of Control in J & K is a regular feature. The firing escalates in summer months and with the on-set of winters, the snow bound areas witness reduced firing. Along the International Border in Rajasthan, there have been Pak Rangers and Border Security Force during the past 6 months.

(b) It is suspected that Pak troops have been providing fire support to enable the militants to infiltrate and also set up ammunition dumps across the Line of Control. Our troops have been successful in intercepting large quantities of ammunition along the Line of Cortrol. The following quantities of ammunition were recovered during the past 6 months :—

(i) Anti Personnel Mines	319 Nos.
(ii) Anti Tank Mines	15 Nos.
(iii) Hand Grenades	418 Nos.
(iv) Ammunition	72665 rounds

(c) and (d) Pakistan have upgraded the quality of arms/ammunition and equipment supplies to the militants. Our weapon systems are adequate to safeguard our security interest.

सेना में भर्ती के लिए मानदण्ड

1954. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में भर्ती के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पहले जिन जातियों की भर्ती का अनुपात अधिक था उनकी भर्ती अब कम कर दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजस्थान के लोगों को भर्ती में पहले जो प्राथमिकता दी जाया करती थी वह अब लगभग वापस ले ली गई है;

(घ) क्या सेना में भर्ती के संबंध में रिश्वतखोरी की कोई शिकायतें है, यदि हां, तो यह रिश्वतखोरी किस प्रकार की है और उसे समाप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए है, और

(ङ) पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर और धौलापुर भर्ती कार्यालयों से सेना में कम भर्ती किए जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सेना के सभी रैंकों में सभी पात्र भारतीय नागरिक भर्ती ले सकते हैं। चाहे वे किसी भी जाति, मत, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के हों। भारतीय सेना में भर्ती किए जाने संबंधी मानदंड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं (नीचे देखिये)।

(ग) राजस्थान से पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना में भर्ती उससे अधिक हुई है जो कि इस राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर उसका हिस्सा बनता है।

(घ) रिश्वत देने और नियमों व क्रियाविधियों का उल्लंघन करने के कारण भर्ती में भ्रष्टाचार होने के मामले समय-समय पर सरकार की जानकारी में लाए जाते हैं। सेना कार्मिकों

की भर्ती में कदाचार/अनियमितताओं की घटनाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। (नीचे देखिये)

(ङ) यह बताया गया है कि सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर और धौलपुर से भर्ती किए गए सेना कार्मिकों की संख्या उससे अधिक रही है जो कि उन क्षेत्रों में भर्ती योग्य पुरूष जनसंख्या के आधार पर उनका हिस्सा बनता है।

विवरण I

सेना के अफसर संवर्ग में भर्ती मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। कुछ शाखाओं में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा लिए बिना सेना चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है।

जो उम्मीदवार 10+2 पद्धति की सामान्य शिक्षा पूरी करने के बाद सेना में भर्ती होना चाहते हैं वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेते है। स्नातक उम्मीदवार भी सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से सेना में प्रवेश पाने के पात्र हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं।

सेना में कार्मिकों (अन्य रैंकों) की भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य प्रणाली और मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

अन्य रैंकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र देने की प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय को सीध ही आवेदन करना होता है जहां रिक्त पदों की संख्या, उम्मीदवारों की आयु, शैक्षिक अर्हता, शारीरिक मानदंडों, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्रों आदि के आधार पर उन आवेदन पत्रों की छटाई की जाती है। छांटे गए उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान के समीप निर्धारित स्थान पर निर्धारित तारीख और समय पर जांच के लिए पहुंचने के उद्देश्य से क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय से उन्हें सीधे ही पत्र जारी किए जाते हैं। उम्मीदवारों के वहां पहुंचने पर उन्हें भर्ती की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसमें शैक्षिक अर्हता और जन्म-तिथि संबंधी दस्तावेजों की जांच करना, शारीरिक मापतौल और डाक्टरी जांच करना तथा लिखित परीक्षा लेना शामिल है।

सेना में भर्ती संबंधी रिक्त पदों को विभिन्न राज्यों को उनकी भर्ती योग्य पुरुषों की संख्या के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। हालांकि राज्यों को रिक्त पदों का वितरण करने से पूर्व नियत श्रेणी/संघटन रेजिमेंटों से संबंधित कुछ पदों को अलग रखना होता है। यह तथ्य इस बात से जुड़ा है कि कुछ राज्यों में उम्मीदवार अपेक्षित अर्हता और शारीरिक मानदंडों के अनुरूप न होने के कारण वे बड़ी संख्या में परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं जिससे वे राज्य उन्हें आवंटित किए गए सभी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं कर पाते और इसके परिणामस्वरूप कभी-कभी विभिन्न राज्यों से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या भिन्न-भिन्न हो जाती है।

विवरण II

सेना कार्मियों की भर्ती में कदाचार/अनियमितताओं की घटनाएं दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) भर्ती कार्यालयों में अफसरों, जूनियर कमीशन अफसरों और अन्य रैंकों की तैनाती के लिए विस्तृत गुणात्मक अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। भर्ती कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती उनकी विस्तृत जांच के बाद ही की जाती है। जिन कार्मिकों की विश्वसनीयता संदिग्ध पाई जाती है उन्हें भर्ती कार्यालय से हटाकर वापस भेज दिया जाता है।

(2) भर्ती कार्यालयों में तैनात कार्मिकों का कार्यकाल दो वर्ष तक सीमित किया गया है।

(3) उम्मीदवारों की जांच अफसरों के एक बोर्ड द्वारा की जाती है जिसमें स्थानीय विरचना/यूनिट के दो स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं।

(4) उम्मीदवारों की लिखित परीक्षाएं ली जाती हैं जिसमें दलालों/एजेंटों का हस्तक्षेप नहीं हो पाता।

(5) लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया गया है।

(6) भर्ती के समय डाक्टरी जांच में कदाचार को न्यूनतम करने के लिए एक अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच करने की प्रणाली शुरू की गई है। भर्ती करने वाले चिकित्सा अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील करने की भी व्यवस्था की गई है।

(7) जो अफसर या अन्य कार्मिक भर्ती प्रक्रिया में कदाचार के दोषी पाए जाते है उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कठोर दण्ड दिया जाता है। कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

Representations regarding CSD business with small enterprises

1955. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received many representations for creating a better role by Canteen Stores Department in doing business with small and medium entrepreneurs;

(b) what steps have been taken to discuss these problems with C.S.D.; and

(c) what measures are being taken to ensure that small entrepreneurs get adequate assistance and flexible working from canteen stores Department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Canteen Stores Department makes purchases of consumer goods for retail sale to the troops and other entitled categories and these products are not purchased for consumption by the Ministry of Defence. Therefore, it only stocks such items are demanded by its customers, irrespective of whether the supplier is from the large scale sector or from the medium/small scale. In making its purchases, CSD gives no preference to any supplier on the basis of the suppliers size or scale. Problems and issues raised by suppliers are duly considered by the CSD management, including problems raised by small scale entrepreneurs and measures taken to ensure flexibility of operations.

Agreement with Israel on Defence material

1956. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether an Israeli delegation visited India and held discussions with the Indian Government about the defence materials between the two-countries;

(b) if so, whether any agreement in this regard has been signed; and

(c) what is the extent to which India and Israel have agreed to improve defence cooperation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. Discussions held so far have been of exploratory nature.

Purchase from Small Scale Sectors

1957. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any steps are being taken to assist the small scale sector through various Defence Ministry purchase organisations;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Canteen Stores Department makes huge purchases every year; and

(d) if so, steps being taken by Canteen Stores Department to give encouragement to small scale units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) Based on the instructions issued by the Department of Supply, the Ministry of Defence issued instructions on 12-10-90, extending the following facilities to Small Scale Units registered with National Small Industries